

Press Release

दिनांक :- 23.10.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 1,197 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया।

कटिहार जिला में ₹1,17,500/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

Flying Squad, Static Surveillance Team एवं अन्य के द्वारा अब तक कुल 18.78 करोड़ रुपये जब्त किया गया है। जब्त राशि में से आयकर विभाग द्वारा अब तक कुल 1.49 करोड़ रुपये को अंतिम रूप से जब्त किया जा चुका है जबकि 12.11 करोड़ रुपये जिला स्तर पर गठित समिति के स्तर से विमुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त अब तक कुल 837 किलोग्राम गाँजा जिसका मूल्य लगभग ₹41,85,000/- है, 326 ग्राम हेरोईन जिसका मूल्य लगभग ₹3,26,000/- है, 8.6 किलोग्राम सोना जिसका मूल्य लगभग ₹2,20,70,776/- है एवं 189 किलोग्राम चाँदी जिसका मूल्य लगभग ₹68,84,834/- है, जब्त किया गया है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	3
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	1
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	3
Violation of Loudspeaker Act	2
Others	4

3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-
- |  |              |
|--|--------------|
| No. of Arms/Weapons seized                                   | 12           |
| No. of cartridges seized                                     | 68           |
| No. of Licensed Arms deposited                               | 84           |
| No. of Licensed Arms Cancelled                               | 1            |
| No. of persons bound down under preventive section of Cr. PC | 478          |
| No. of non-bailable warrants executed                        | 80           |
| Fine collected in vehicle checking                           | Rs. 1,49,917 |
4. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई आज की गई :-
- |  |             |
|--|-------------|
| No. of prohibition cases registered          | 24          |
| No. of raids conducted                       | 71          |
| Volume of illicit liquor seized during raids | 1,774 litre |
| No. of persons arrested                      | 23          |
| Amount of fine imposed                       | Rs. 55,400  |
5. आज दिनांक 23.10.2015 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के तृतीय चरण के जिलों के सभी सामान्य प्रेक्षकों, व्यय प्रेक्षकों एवं पुलिस प्रेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की गयी एवं उन्हें आवश्यक निदेश दिया गया।
6. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदाताओं को बी०एल०ओ० के माध्यम से उनके घर पर ही मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जा रही है। तृतीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 85% मतदाताओं को मतदाता पर्ची अब तक उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिन मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है वे मतदान की तिथि दिनांक 28.10.2015 को अपने मतदान केन्द्र पर जा कर बी०एल०ओ० के माध्यम से मतदाता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। यदि मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं हुई है तो भी ईपिक अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची स्वयं ही मतदान के समय मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतु वैकल्पिक दस्तावेज है। मतदान हेतु मतदाता पर्ची की मूल प्रति ही स्वीकार्य होगी।

\*\*\*\*\*